उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-143/2016/3208/26-3-2016-4(73)/2015

लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री अनुराग धुरिया पुत्र श्री पहलू धूरिया ग्राम व पोस्ट घुरीपुर, परगना-गड़वारा तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर द्वारा मण्डलीय अपीलीय फोरम वाराणसी मण्डल, वाराणसी के आदेश दिनांक-14.08.2015 के विरूद्व राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-04.11.2015 प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक की तिथि दिनांक-01.06.2016 को निर्धारित करते हुये शासन के पत्र दिनांक-12.05.2016 द्वारा नोटिस निर्गत कर बैठक की सूचना अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गयी थी। राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक निर्धारित तिथि को सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में अपीलार्थी अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ। जिला प्रशासन, जौनपुर की ओर से श्री हरभजनराम, राजस्व निरीक्षक, मछलीशहर, जौनपुर उपस्थित हुये। उनके द्वारा स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष लिखित कथन देते हुये यह बताया गया कि बैठक की नोटिस जनपद स्तर से उन्हें देर से प्राप्त हुयी जिसके कारण कोई अभिलेख नही लाया जा सका। राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गयी थी। अपीलार्थी श्री अनुराग धुरिया के अधिवक्ता द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी से अपनी अपील मंे पूरक अपील/कथन प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किये जाने की मांग की गयी। अतएव प्रकरण पर विचार करते हुये राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी अपीलार्थी को 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुये निर्देशित की कि वह उक्त अवधि के भीतर अपना कथन लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। तत्क्रम में श्री अनुराग धुरिया द्वारा अपना कथन दिनांक-13.06.2016 रजिस्टर्ड डाक से शासन को प्रस्तुत किया गया। राज्य स्तरीय स्कुरटनी कमेटी द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु पुनः दिनांक-27.06.2016 को बैठक आहूत करते हुये सम्बन्धित पक्षों को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस दिनांक-12.05.2016 निर्गत की गयी थी। तत्क्रम में अपीलार्थी श्री अनुराग धुरिया सुनवाई में उपस्थित हुये। जनपद/तहसील स्तर से जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ।

2- प्रकरण के अवलोकन से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि श्री अनुराग धुरिया पुत्र श्री पहलू धुरिया, ग्राम व पोस्ट-घूरीपुर, परगना गड़वारा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर द्वारा गोड़ अनुसूचित जनजाति के रूप में जाति प्रमाण पत्र संख्या-3289, दिनांक-30.06.2006 प्राप्त कर परिवहन विभाग में परिचालक के पद पर सेवायोजन प्राप्त किया गया है एवं अनुसूचित जनजाति कोटे के अन्तर्गत बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में नामांकन प्राप्त किया गया। कालान्तर में श्री रमेश चन्द्र गोंड एवं भाई लाल कोल, मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र 96 जनपद-मिर्जापुर का कथित शिकायती पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार मछलीशहर, जौनपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक-13.05.2013 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक-30.06.2006 को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत गोंड जाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ है जिसका क्रमांक-3289 है। इसके साथ इनके भाई श्री आशीष कुमार धुरिया पुत्र श्री पहलू धुरिया एवं पहलू धुरिया पुत्र बिन्देश्वरी के नाम भी अन्य पिछडे वर्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत जाति प्रमाण पत्र क्रमांक-3287 एवं 3288 से निर्गत हुआ है। तहसीलदार मछलीशहर की आख्या के आधार पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपीलार्थी की सेवायें समाप्त कर दी गयी। तदोपरान्त अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-3499/06/13 योजित की गयी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक-02.07.2013 के क्रम में याची श्री अनुराग धुरिया द्वारा जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी जौनपुर ने अपने आदेश दिनांक-22.06.2014 द्वारा निम्नवत् संवीक्षण के साथ अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी गयीः-

(1)-अपीलार्थी के पूर्वज (प्रपितामह) बेचन पुत्र रामदीन के नाम खतौनी सन् 1356 फसली के खाता संख्या-15 एवं 22 में कौम कहार स्पष्ट रूप से अंकित है। बेचन अपीलार्थी के पिता पहलू के पिता है तथा कहीं भी अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त तथ्य का खण्डन नही किया गया है कि वह इनके प्रपितामह न हो।

(2)-अपीलार्थी के चाचा श्री बद्रीप्रसाद जो अपीलार्थी के पिता के चचेरे भाई है, ने अपने बयान में अपनी जाति कहार होना स्वीकार किया है। साथ ही बद्रीप्रसाद के पुत्रों हरिकेश व सुरेश कुमार की जाति प्रा0वि0 घूरीपुर की प्रवेश पजिका में कहार अंकित है, जैसा कि प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक-08.10.2013 को प्रमाणित करके दिया गया है।

(3)-अपीलार्थी के पिता श्री पहलू पुत्र बिन्देश्वरी के सम्बन्ध में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलवार, तहसील-मछलीशहर (जहां पर इन्होन अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की) के प्रधानाध्यापक से इनका प्रवेश विवरण चाहा गया, जिन्होने प्रवेश पंजी की छायाप्रति अपने हस्ताक्षर व मुहर से दिनांक-08.10.2013को उपलब्ध करायी है, जिसके क्रमांक-884 पर पहलू पुत्र बिन्देश्वरी ग्राम-घूरीपुर मछलीशहर जौनपुर की जाति कहार अंकित है।

(4)-अपीलार्थी की माँ श्रीमती कान्ती धुरिया पत्नी पहलू धुरिया द्वारा दिनांक-27.10.2006 को उपजिलाधिकारी मछलीशहर को आवेदन पत्र देकर मत्स्य पालन का पट्टा स्वप्रेरणा से करने का अनुरोध किया है। तदनुसार उन्हें तालाब नं0-226/0.676 हे0 का 10 वर्षीय पट्टा मत्स्य पालन हेतु दिया गया है। आवेदन पत्र में श्रीमती कान्ती द्वारा लिखा गया है कि प्रार्थिनी, मछुआ समुदाय की बेरोजगार महिला है। इसी मत्स्य पालन की पट्टा पत्रावली में तत्कालीन लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी आख्या में श्रीमती कान्ती पत्नी पहलू की मछुआ समुदाय की गरीब व्यक्ति बताया गया है।

(5)-वर्तमान परिवार रजिस्टर ग्राम-घूरीपुर के मकान नं0-26 व 25 में अपीलार्थी के पिता पहलू व अपीलार्थी के चाचा बद्रीप्रसाद व उनके परिवार के नाम दर्ज है, जिसके स्तम्भ-7 में इनकी जाति हिन्दू कहार अंकित है। अपीलार्थी की ओर से पूर्व के परिवार रजिस्टर मकान नं0-68 की नकल प्रस्तुत की गयी थी, जिसका सत्यापन भी खण्ड विकास अधिकारी सुजानगंज से कराया गया तथा नकल गलत पाई। खण्ड विकास अधिकारी की आख्या पत्रांक-504 दि0-21.10.2013 एवं पूर्व परिवार रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस रजिस्टर में अपीलार्थी के पिता के पिता बिन्देश्वरी व उनके परिवार के नाम मकान नं0 29 दर्ज है। जिसके स्तम्भ-7 में सा0 अर्थात सामान्य अंकित था, किन्तु बाद में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इसमें कूटरचना करते हुये धुरिया (गोंड) अंकित कर दिया गया किन्तु सा0 अब भी दर्ज है। यह कूट रचना मिली भगत से गलत लाभ प्राप्त करने हेतु करायी गयी प्रतीत होती है जो विधिमान्य नही है। खण्ड विकास अधिकारी सुजानगंज द्वारा अपनी आख्या में स्थलीय जांच के आधारपर भी अपीलार्थी के परिवार की

--3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

जाति हिन्दू कहार अंकित की हैं।

(6)-यह कि अपीलार्थी अनुराग धुरिया की टी0सी0 का सत्यापन प्रधानाध्यापक बाल कल्याण केन्द्र पू0मा0वि0 दारागंज इलाहाबाद से करायी गयी, जिनके पत्र दिनांक-27.09.2013 से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का नाम अनुराग धुरिया पुत्र पहलू धुरिया स्कूल अभिलेखों में अंकित था, जिस पर अपीलार्थी के पिता पहलू धुरिया पुत्र बिन्देश्वरी धुरिया के शपथ पत्र दिनांक-02.03.2013 के आधार पर धुरिया के आगे गोंड जोडा गया। इनके पत्र में यह भी स्पष्ट है कि छात्र अनुराग धूरिया द्वारा विद्यालय में किसी भी वर्ग की छात्रवृत्ति कभी प्राप्त नही की गयी। इन तथ्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी गोंड(अनुसूचित जनजाति) के नही है और इन्होने सोची समझ चाल के तहत गलत शपथ पत्र देकर विद्यालय के अभिलेखों में फेरबदल वर्ष 2013 में कराया और साक्ष्यों को बिगाडनें का प्रयास किया।

(7)-अपीलार्थी द्वारा विभिन्न वर्षो की जनगणना के आंकडे प्रस्तुत करते हुये यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि जनपद-जौनपुर में गोंड (अनुसूचित जनजाति) के लोग पाये जाते है। दूसरी ओर इनके विपक्षी श्री आशीष कुमार गोंडवाना सचिव, आदिवासी विकास समिति उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के ग्रामवार आंकडा प्रस्तुत करते हुये यह साबित किया गया है कि ग्राम धूरीपुर में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नही है किन्तु इसके विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से कोई साक्ष्य नही दिया जा सका जो इस तथ्य को गलत साबित करें।

(8)-इस प्रकरण में तहसीलदार मछलीशहर द्वारा विधिवत स्थानीय जांच की गयी है जिसमें अपीलार्थी के परिवार को कहार (पिछड़ी जाति) का पाया गया। इसी प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेशानुसार श्री रामनरेश राम, उपजिलाधिकारी द्वारा भी जांच की गयी, इनकी आख्या दिनांक-04.04.2013 के अनुसार भी इनकी जाति 'कहार' अन्य पिछड़े वर्ग की पायी गयी। जिला समाज कल्याण अधिकारी की आख्या द्वारा इनकी जाति हिन्दू 'कहार' पायी गयी जो धुरिया शब्द टाईटिल के रूप में लिख रहें हैं। खण्ड विकास अधिकारी, सुजानगंज, जौनपुर ने अपनी आख्या दिनांक-21.10.2013 में स्थलीय जांच के आधार पर अपीलार्थी की जाति हिन्दू 'कहार' बतायी गयी है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, रायपुरकला के प्रधान श्री महमूद अंसारी द्वारा दिनांक-30.09.2013 को यह प्रमाणित किया गया है कि श्री अनुराग पुत्र श्री पहलू धुरिया का परिवार पिछड़ी जाति के कहार (गौड़) उपजाति के है।

(9)-अपीलार्थी द्वारा जनपद-जौनपुर के अन्दर के जिन अन्य व्यक्तियों के गोंड अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये, वे या तो गलत पाये गये अथवा उनसे अपीलार्थी का कोई सम्बन्ध/रिश्तेदारी नही पायी गयी तथा जनपद के बाहर के जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये, उन सभी के शपथ पत्र उनके विपक्षी श्री आशीष कुमार गोंडवाना सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये कि उनका कोई सम्बन्ध/रिश्ते अपीलार्थी श्री अनुराग धुरिया पुत्र पहलू निवासी ग्राम-धूरीपुर से नही है। अपीलार्थी इन व्यक्तियों से अपना सम्बन्ध/रिश्तेदारी साबित करने में असमर्थ रहें हैं।

(10)-भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 तथा तत्क्रम में शासनादेश संख्या-6744/छब्बीस-77-17(21)-74 दि0-29-08-1977 द्वारा गोंड जाति को अनुसूचित जाति माना गया तथा शासनादेश संख्या-111-भा.स./26-3-2003-3(7)/03, दिनांक-03.07.2003 द्वारा जौनपुर सहित कुल 13 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में रखा गया। इस प्रकार कोई व्यक्ति गोंड जाति का है या नही, इसका निर्धारण 1977 के पूर्व के अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके बाद के साक्ष्यों पर तब तक विश्वास नही किया जा सकता जब तक कि वे वर्ष 1977 के पूर्व के साक्ष्यों के तारतम्य में न हो।

--4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

अतः इनके द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य जैसे आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग, पहचान पत्र, भारतीय स्टेट बैंक पासबुक आदि वर्ष 1977 के बाद के बनाये गये दस्तावेज है जो जाति की प्रमाणिकता के बारे में पूरी तरह विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में नही माने जा सकते। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1977 के पूर्व का ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा सके, जिससे इनका गोंड (अनुसूचित जनजाति) को होना प्रमाणित हो सके।

3- जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, जौनपुर के उक्त आदेश दिनांक-22.01.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री अनुराग धुरिया द्वारा मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न तथ्य इंगित किये गयेः-

(1)-यह कि राजस्व अभिलेखों यथा-खतौनी 1333, 1334, 1356 व 1359 फसली में अपीलार्थी के 4 पीढ़ी पूर्वज श्री रामदीन गोंड दर्ज है, जो अनुसूचित जनजाति में आते है।

(2)-अपीलार्थी के परिवार के वंशवृक्ष के अनुसार पूर्व की पांचवी पीढ़ी में रामदीन है। परिवार रजिस्टर में अपीलार्थी के परिवार की जाति गोंड अंकित है।

(3)-यह कि श्री वी0वी0 गिरी बनाम डिम्पल सूरी डोरा 19560 एस0सी0आर0 (1) पृष्ठ-426 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित मत के अनुसार जाति का निर्धारण पूर्वजों के जन्म के समय से होता है। चूँकि अपीलार्थी के पूर्वज देवीदीन व रामदीन, दोनो गोंड जाति के थे, इसलिए अपीलार्थी की जाति भी गोंड अनुसूचित जनजाति मानी जाय।

(4)-तहसीलदार मछलीशहर द्वारा भी फोरम के समक्ष जो आख्या प्रस्तुत की गयी है उसके प्रस्तर-3 में अपीलार्थी के पूर्वज की जाति गोंड अंकित होने के तथ्य को इनकार नही किया गया है अर्थात अपीलार्थी के पूर्वज अनुसूचित जनजाति के थे। रिकार्ड और बयानों के आधार पर किसी की जाति बदल नही जायेगी। अपीलार्थी के पक्ष मे अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वह बिलकुल उचित है। अतः जिला स्तरीय स्क्रूटनी समिति के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करके अपीलार्थी का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बहाल किया जाय।

4- मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष विपक्षी द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि 1356 फसली की खतौनी के खाता संख्या-15 व 22 पर अपीलार्थी के पूर्वज की कौम 'कहार' अंकित है, जो पिछड़ी जाति में आते है। परिवार रजिस्टर में पहलू पुत्र बिन्देश्वरी, कोटी पुत्र पहलू को मकान नं0 2 में कौम 'कहार' के रूप में दर्शाया गया है। मौजा घूरीपुर में एक भी अनुसूचित जनजाति नही है, बल्कि कुम्हार है, जो पिछड़ी जाति में आते है। इस प्रकार अपीलार्थी को निर्गत 'गोंड' अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र उचित प्रकार से निरस्त किया गया है।

मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा उभयपक्ष के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर आये साक्ष्यों के सम्यक परिशीलनोपरान्त यह पाया गया कि अपीलार्थी की ओर से इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि 1333, 1334 व 1356 फ0 की खतौनी में उनके पूर्वजों को गोंड दर्शाया गया है और इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा स्वयं को अनुसूचित जनजाति का होने का दावा किया गया है। मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा शासनादेश संख्या-3469/26-3-2010, दिनांक-26.10.2010 का संज्ञान लिया गया जिसमें यह दिशा-निर्देश दिये गये है कि प्रदेश के कुछ भागों में भुर्जी, भुजवा, भड़भुजा जिन्हें स्थानीय भाषा में गोंड भी कहा जाता है, ये अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आते है। उक्त शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी

--5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

जाति विशेष का निर्धारण करने के लिये किसी शब्द की वर्तनी (Spelling)अनुस्वर/व्यक्ति का व्यवसाय अथवा उसके नाम के समक्ष लिखी गयी जाति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु आधार नही माना जायेगा और इनके आधार पर किसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र नही निर्गत किया जायेगा। उक्त शासनादेश के क्रम में मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी की ओर से 1356 फसली की खतौनी एवं 1359 फसली के खसरा में उनके पूर्वजों को गोंड जाति का दर्शाये जाने अथवा स्कूल के निर्गमन प्रमाण पत्र में गोंड जाति का उल्लेख होने मात्र से अपीलार्थी को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आने वाले गोंड जाति का व्यक्ति मान लिये जाने का पर्याप्त आधार नही है।

मण्डलीय फोरम द्वारा तहसीलदार मछलीशहर, जौनपुर की आख्या एवं जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी का निर्णय, अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में प्रकरण का परिशीलन किया गया। जिला स्तरीय स्क्रूटनी समिति के प्रश्नगत आदेश दिनांक-22.01.2014 में किये गये विश्लेषण के अनुसार अपीलार्थी के पूर्वज (प्रपितामह) बेचन पुत्र रामदीन के नाम खतौनी सं0 1356 फ0 के खाता संख्या-12 व 22 में कौम 'कहार' स्पष्ट रूप से अंकित है। अपीलार्थी के पिता के चचेरे भाई श्री बद्रीप्रसाद ने अपने बयान में अपनी जाति 'कहार' होना स्वीकार किया है, साथ ही बद्रीप्रसाद के पुत्रों हरिकेष व सुरेश की जाति प्राथमिक विद्यालय, घूरीपुर की प्रवेश पंजिका में 'कहार' अंकित है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलावर, तहसील, मछलीशहर के प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक-08.10.2013 को उपलब्ध करायी गयी प्रवेशपंजी की प्रति के अनुसार अपीलार्थी के पिता श्री पहलू पुत्र बिन्देश्वरी की जाति 'कहार' अंकित है। वर्तमान परिवार रजिस्टर ग्राम घूरीपुर के मकान नं0 26 व 25 में अपीलार्थी के पिता पहलू व उनके चाचा बद्रीप्रसाद व उनके परिवार के नाम के सामने जाति हिन्दू 'कहार' अंकित पाया गया। अपीलार्थी की ओर से मकान नं0 68 के सम्बन्ध में जिस परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध करायी गयी थी, उसमें कूटरचना करके धुरिया (गोंड) अंकित किया जाना पाया गया, जबकि खण्ड विकास अधिकारी, सुजानगंज द्वारा स्थलीय जांच के आधार पर अपनी आख्या में अपीलार्थी के परिवार की जाति हिन्दू 'कहार' अंकित की है। प्रधानाध्यापक, बाल कल्याण केन्द्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दारागंज, इलाहाबाद के पत्र दिनांक-27.09.2013 के अनुसार अपीलार्थी के पिता श्री पहलू धुरिया के शपथ पत्र के आधार पर अपीलार्थी के विद्यालय अभिलेखों में धुरिया के आगे ''गोंड'' जोड़ा गया यद्यपि अपीलार्थी द्वारा उक्त विद्यालय से किसी भी वर्ग की छात्रवृत्ति कभी प्राप्त नही की गयी थी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय के अभिलेखों में वर्ष 2013 के पूर्व अपीलार्थी की जाति ''गोंड'' अंकित नही थी। अपीलार्थी के विपक्षी श्री आशीष कुमार गोंडवाना, सचिव, आदिवासी विकास समिति उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के ग्रामवार जो आंकडें प्रस्तुत किये गये, उसके अनुसार ग्राम धूरीपुर, जौनपुर में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नही है। तहसीलदार, मछलीशहर द्वारा स्थानीय जांच में अपीलार्थी के परिवार को 'कहार' (पिछड़ी जाति) का होना पाया गया। श्री रामनरेश राम, उपजिलाधिकारी की जांच आख्या दिनांक-04.04.2013 एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी की आख्या में अपीलार्थी की जाति

--6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

हिन्दू 'कहार' बतलाई गयी, जो 'धूरिया' शब्द टाइटिल के रूप में लिख रहे है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत रायपुरकला द्वारा दिनांक-30.09.2013 को यह प्रमाणित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा जनपद जौनपुर के जिन अन्य व्यक्तियों के गोंड अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये, वे या तो गलत पाये गये अथवा उनसे अपीलार्थी की कोई रिश्तेदारी नही पायी गयी। यही स्थिति जनपद के बाहर के प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में भी है। मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा जिला स्तरीय स्क्रूटनी समिति के इस निष्कर्ष से भी सहमति व्यक्त की गयी कि किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके जन्म से तथा उसके पिता एवं पूर्वजों की जाति के आधार पर होता है, किसी दीगर जाति के व्यक्ति से सम्बन्ध रिश्तेदारी होने के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति नही बदली जा सकती है। जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य साक्ष्यों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भी भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-6744/छब्बीस-77-17(2)-74 दिनांक-29-08-1977 द्वारा 'गोंड' जाति को अनुसूचित जाति माना गया तथा शासनादेश संख्या-111-भा0स0/26-3-2003-3(7)/2003, दिनांक-03.07.2003 द्वारा जौनपुर सहित कुल 13 जनपदों में 'गोंड' जाति को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। इस प्रकार कोई व्यक्ति 'गोंड' जाति का है या नही इसका निर्धारण वर्ष 1977 के पूर्व के अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके बाद के साक्ष्यों पर तब तक विश्वास नही किया जा सकता, जब तक कि वे वर्ष 1977 के पूर्व के साक्ष्यों के तारतम्य में न हो। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य साक्ष्य जैसे आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र आदि जो वर्ष 1977 के बाद के Originate अभिलेख है, जाति की प्रमाणिकता के बारे में पूर्णरूपेण साक्ष्य के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1977 के पूर्व का ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा सका, जिससे इनकी गोंड (अनुसूचित जनजाति) का होना प्रमाणित हो सके। अतएव मण्डलीय अपीलीय फोरम ने उक्त विवेचन के उपरान्त अपने आदेश दिनांक-14.08.2015 में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, जौनपुर का निर्णय दिनांक-22.01.2014 युक्तियुक्त है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई तार्किक कारण नही है। तदनुसार फोरम द्वारा अपीलार्थी की अपील बलहीन पाते हुये निरस्त कर दी गयी।

5- मण्डलीय अपीलीय फोरम के उक्त निर्णय दिनांक-14.08.2015 के विरूद्ध श्री अनुराग धुरिया द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-04.11.2015/13.06.2016 प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी ने अपनी संशोधित अपील दिनांक-13.06.2016 में अपने बचाव में निम्नवत् साक्ष्य प्रस्तुत किये गये:-

(1)-भू-राजस्व अभिलेख 1333 व 1334 फसली एवं भू-राजस्व अभिलेख 1356 फसली।

(2)-शैक्षिक साक्ष्य, टी0सी0।

(3)-परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 3289/06 दिनांक-30.06.2006, जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र,अपीलार्थी के पिता को जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक-3288/06 दिनांक-30.06.2006, अन्य दूसरे व्यक्ति को जारी प्रमाण पत्र क्रमांक-3275 व 3276 दिनांक-30.06.2006, अपीलार्थी के पिता को जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिनांक-15.12.1982

(4)-वर्तमान ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र, भूतपूर्व ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र।

--7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

(5)-डिप्टी कलेक्टर जौनपुर की जांच आख्या दिनांक-04.04.20163, भारत का राजपत्र, जनजाति मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश व उत्तर प्रदेश सरकार की अनुसूची, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संस्थान लखनऊ द्वारा सूचना एवं जनगणना रिपोर्ट 1891

(6)-जनगणना के अनुसार गोंड की जनपदवार संख्या, गोंड जाति की उपजातियां आदेश 15 जूनं, 1981, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ का आदेश व जनसूचना, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण-3 उ0प्र0 शासन का आदेश दिनांक-03.01.2007, उ0प्र0अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग लखनऊ का आदेश दिनांक-18.03.2016

(7)-धुरिया जाति का प्रमाण पत्र संख्या-3931, दिनांक-19.05.2007, जिला स्कुटनी कमेटी महराजगंज का निर्णय, हाईकोर्ट रिट संख्या-36867 निर्णय दिनांक-27.01.1994, निर्णय हाईकोर्ट रिट संख्या-23299 वर्ष 1994, अपील संख्या-368 वर्ष 1997, हाईकोर्ट निर्णय दिनांक-23.01. 2004, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स अप्रैल 1975, वकालतनामा)

6- राज्य स्तरीय स्कुटनी कमेटी द्वारा सुनवाई की तिथि दिनांक-27.06.2016 को प्रकरण में सुनवाई की गयी तथा अपीलार्थी के पक्ष को सुना गया। राज्य स्तरीय स्कुटनी कमेटी द्वारा अभिलेखों के परिशीलन में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा जो अभिलेख यथा-भू-राजस्व अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख एवं परिवार के सदस्यों को निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा ग्राम प्रधान के पत्रों की प्रति, उपजिलाधिकारी, जौनपुर की आख्या इत्यादि जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये है, उनका संज्ञान मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा पूर्व में लेते हुये अपीलार्थी की अपील निस्तारित की गयी है। अपीलार्थी द्वारा उपजिलाधिकारी, मछलीशहर, जौनपुर की आख्या दिनांक-04.04.2013 का जो उल्लेख किया गया है उसमें यह उल्लिखित है कि जांच पड़ताल एवं स्थानीय पूछतांछ में यह पाया गया कि श्री अनुराग पुत्र श्री पहलू धुरिया निवासी, घूरीपुर जाति के गोड़ (कहार) अन्य पिछड़ी वर्ग के हैं इनके द्वारा अनुसूचित जनजाति 'गोंड' का गलत तरीके से प्रमाण पत्र संख्या-3289, दिनांक-30.06.2006 प्राप्त किया गया है जो अवैध है। अपीलार्थी ने अपने बचाव पक्ष में अन्य व्यक्तियों श्री देवाशीष पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद गोंड, निवासी-ममफोर्डगंज, तहसील सदर, इलाहाबाद को निर्गत धुरिया जाति प्रमाण पत्र दिनांक-19.05.2007 एवं जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी जनपद महराजगंज के निर्णय दिनांक-04.10.2014 एवं जिलाधिकारी, महराजगंज के पत्र दिनांक-24.09.2014 की जो प्रति उपलब्ध करायी गयी उसके अवलोकन में समिति ने यह पाया कि दूसरे जनपदों में निवासरत अन्य किसी व्यक्ति की जाति के सम्बन्ध में निर्गत किसी आदेश को अपीलार्थी की स्वयं की जाति सत्यापित किये जाने का आधार नही माना जा सकता है।

राज्य स्तरीय स्कुटनी कमेटी ने अपने विवेचन में यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा मण्डलीय फोरम के समक्ष जो भी साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत किये गये थे वह वर्ष 1977 के बाद के थे। स्कुटनी कमेटी द्वारा अपीलार्थी से उसकी 'गोंड' अनुसूचित जनजाति होने के सम्बन्ध में विश्वसनीय एवं मूलभूत साक्ष्य मांगे जाने पर श्री अनुराग धुरिया द्वारा भू-राजस्व अभिलेख 1334 फसली की प्रति प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया कि उसके पूर्वज रामदीन, मौजा घूरीपुर परगना गडवारा, तहसील मछलीशहर, जौनपुर के 1334 फसली में कौम 'गोंड' अंकित है। समिति द्वारा अपीलार्थी के पूर्वजो की 1356 फसली की नकल, खतौनी का अवलोकन किया गया जिसमें बेचन

--8

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

पुत्र रामदीन की कौम 'गोड़' अंकित होना पायी गयी। अभिलेख 1356 फसली की नकल पर राजस्व कर्मियों द्वारा इस आशय की टिप्पणी अंकित पायी गयी कि श्री अनुराग धुरिया के पूर्वज के नाम के आगे कौम के स्थान पर अंकित शब्द की लिखावट व स्याही अन्य लिखावट से भिन्न प्रतीत होती है व ऊपर के हिस्से पर फटा है।

यह भी पाया गया कि भारत सरकार (अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में) आदेश 1936 में यूनाईटेड प्राविन्स (आजादी के पूर्व संयुक्त उ0प्र0 के नाम से जाना जाता था) राज्य हेतु निर्गत अनुसूचित जातियों की सूची में 'गोंड' अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज नही पायी गयी। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत के महामहिम राष्ट्रपति के आदेश दिनांक-11.08.1950 द्वारा निर्गत अनुसूचित जातियों की सूची में उ0प्र0 के बुन्देलखण्ड डिविजन एवं मिर्जापुर जनपद के दक्षिणी कैमूर पर्वतीय क्षेत्र में निवासरत 'गोंड' (GOND) को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध किया गया। शासनादेश संख्या-6744/26-77-17(21)/74,दिनांक-29.08.1977 द्वारा अनुसूचित जातियों की संशोधित सूची निर्गत की गयी जिसके क्रमांक-36 पर 'गोंड' को अनुसूचित जाति में रखा गया तथा उक्त जाति को बुन्देलखण्ड डिविजन एवं मिर्जापुर जनपद के दक्षिणी कैमूर पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने सम्बन्धी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया। कालान्तर में यह पाया गया कि प्रदेश में निवास करने वाली अन्य जातियां जैसे भड़भूजा, कहार, भुर्जी तथा भुजवा जातियों जिन्हें स्थानीय तौर पर आम बोल-चाल की भाषा में 'गोड़' कहा जाता है, के द्वारा 'गोंड' अनुसूचित जाति (वर्ष 2003 से गोंड जाति उ0प्र0 के 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित) के प्रमाण पत्र की मांग की जाने लगी। अतएव उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3975/26-3-90-3(28)/78, दिनांक-24.09.1990 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 'गोंड' जाति मिर्जापुर/सोनभद्र की कैमूरमाला में ही पायी जाती है न कि पूरे उत्तर प्रदेश में, वर्ष 1977 में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त किये जाने का आशय मात्र इतना था कि मिर्जापुर के कैमूरमाला में निवासित 'गोंड' यदि प्रदेश में अन्यत्र चले जाते है तो उन्हें वही सुविधा अनुमन्य रहे, जो कैमूर पर्वतामाला में निवासरत गोंड को अनुमन्य है। उक्त शासनादेश दिनांक-24.09.1990 में समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को यह स्पष्ट करते हुये निर्देश दिये गये कि पर्याप्त छानबीन एवं जांच के उपरान्त यह सुनिश्चित होने पर कि सम्बन्धित व्यक्ति का सम्बन्ध मिर्जापुर/सोनभद्र की कैमूरमाला में निवासरत 'गोंड' जाति से ही है तथा वह जनजातीय विशेषता वाली गोंड जाति है, के पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

7- उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अनुशीलन करने से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि अपीलार्थी श्री अनुराग धुरिया के पूर्वज जौनपुर के स्थायी निवासी है उसके पूर्वजो का मिर्जापुर/सोनभद्र की कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से जनपद-जौनपुर में आकर निवास करने एवं उक्त क्षेत्र में निवासरत 'गोंड' जाति से कोई सम्बन्ध होने का साक्ष्य नही पाया गया। अपीलार्थी के चाचा श्री बद्रीप्रसाद ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह 'कहार' पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। अपीलार्थी के परिवार के परिवार रजिस्टर ग्राम घूरीपुर के मकान नं0 26 व 25 में अपीलार्थी के पिता पहलू धुरिया व चाचा बद्रीप्रसाद का नाम अंकित है एवं उनकी जाति हिन्दू 'कहार' दर्ज है। खण्ड विकास अधिकारी सुजानपुर, जौनपुर की आख्या दि0-21.10.2013

--9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

में अपीलार्थी के बाबा श्री बिन्देश्वरी व उनके परिवार के नाम मकान नं0-29 दर्ज है उक्त परिवार रजिस्टर के स्तम्भ-7 पर 'सामान्य' अंकित था किन्तु बाद में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इसमें कूटरचना करते हुये धुरिया (गोंड) अंकित कर दिया गया किन्तु परिवार रजिस्टर में अभी भी 'सामान्य' दर्ज है। अपीलार्थी की टी0सी0 का सत्यापन प्रधानाध्यापक बाल कल्याण केन्द्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दारागंज इलाहाबाद से कराने पर यह पाया गया कि विद्यालय अभिलेख में अपीलार्थी का नाम श्री अनुराग धुरिया पुत्र पहलू धुरिया अंकित था जिसे बाद में अपीलार्थी के पिता पहलू पुत्र बिन्देश्वरी द्वारा शपथ पत्र दिनांक-02.03.2013 के आधार पर धुरिया के आगे 'गोंड' जोड़ा गया है। अपीलार्थी के पिता श्री पहलू पुत्र श्री बिन्देश्वरी की शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बेलवार, तहसील-मछलीशहर के प्रधानाध्यापक से प्रवेश सम्बन्धी विवरण/अभिलेख मांगे जाने पर विद्यालय द्वारा प्रवेश पंजी की छायाप्रति हस्ताक्षर व मुहर से प्रमाणित कर दिनांक-08.10.2013 को उपलब्ध करायी गयी थी जिसके क्रमांक-884 पर श्री पहलू पुत्र श्री बिन्देश्वरी ग्राम-घूरीपुर, मछलीशहर, जौनपुर की जाति 'कहार' अन्य पिछड़े वर्ग की अंकित पायी गयी है।

अतएव राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषणोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी श्री अनुराग धुरिया, ग्राम व पोस्ट घूरीपुर, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर 'गोंड' अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं बल्कि यह 'कहार' अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं। तदनुसार राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी अपीलार्थी की अपील दिनांक-04.11.2015/13.06.2016 को एतद्द्वारा निस्तारित की जाती है।

विजय बहादुर सिंह निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ	केदारनाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

पृ0संख्या-143 /2016/आर-3208(1)/26-3-2016 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, जौनपुर।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. श्री अनुराग धुरिया, ग्राम व पोस्ट घूरीपुर, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।